



## मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003  
फोन-0755-2555700 फैक्स-2552665  
ईमेल- mdcmsssm@nic.in



क्रमांक/2018/समग्र/110/166

भोपाल दिनांक 23/06/2018

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
2. समस्त आयुक्त नगर निगम
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत  
मध्यप्रदेश।

**विषय :-** समग्र पोर्टल पर परिवारों एवं व्यक्तियों के डाटा को शुद्ध, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय बनाने के संबंध में।

**संदर्भ :-** मिशन कार्यालय का पत्र क्रमांक/समग्र/एस.पी.आर./2018/63 भोपाल, दिनांक 16.03.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। समग्र पोर्टल पर मध्यप्रदेश में निवासरत परिवारों/सदस्यों का पंजीयन व उनकी मूलभूत जानकारी का संधारण का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारियों का है। पोर्टल पर दर्ज मूलभूत जानकारी के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा पात्र व्यक्तियों को उनकी पात्रता अनुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

2. समग्र पोर्टल पर दर्ज परिवारों एवं व्यक्तियों की मूलभूत जानकारी का शुद्ध, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय होना अत्यंत आवश्यक है, मूलभूत जानकारी के शुद्ध नहीं होने पर पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित हो सकता है व अपात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रायः यह देखने में आता है कि ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारियों द्वारा समग्र पोर्टल पर पंजीयन व डेटा अपडेशन के कार्य को गंभीरता से नहीं किया जाता है, जिससे परिवार एवं व्यक्तियों की मूलभूत जानकारी (जैसे नाम, जन्म दिनांक, लिंग इत्यादि) में त्रुटियां पाई जाती हैं व मूलभूत जानकारी को बार-बार अपडेशन किया जाता है।

3. उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये समग्र पोर्टल पर यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति की सामान्य जानकारी जैसे नाम, जन्म दिनांक, लिंग इत्यादि में ग्राम पंचायत सचिव /वार्ड प्रभारी द्वारा केवल एक बार संशोधन किया जा सकेगा। प्रथमबार संशोधन में त्रुटि होने पर व्यक्ति (आवेदक) द्वारा नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन अनुरोध किया जायेगा, जिसमें संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा व आवेदक को सही मोबाईल नम्बर दर्ज करना होगा। आवेदक द्वारा संशोधन हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय के लॉगईन पर प्रदर्शित होंगे, जिसे 5 दिवस के भीतर जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय

द्वारा Approve या Reject करना अनिवार्य होगा। दो बार संशोधन होने के उपरांत नाम, जन्म दिनांक व लिंग में पुनः संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः पोर्टल पर संशोधन दस्तावेज के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाये। साथ ही दस्तावेजों का संधारण नस्ती में किया जाये।

4. जन्मदिनांक के प्रमाणीकरण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की अंकसूची, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, वोटर आईडी कार्ड, चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाये व उक्त दस्तावेज में से उन दस्तावेज को प्राथमिकता दी जाये जिसमें जन्मदिनांक (दिन, माह व वर्ष) का स्पष्ट उल्लेख हो।

5. यदि दो बार डेटा में संशोधन करने के उपरांत भी डेटा में संशोधन किया जाना है तो उक्त संबंध में आवेदक का आवेदन पत्र, दस्तावेज व पूर्व में डेटा अपडेशन की जानकारी दस्तावेज अनुशंसा सहित मिशन संचालक, म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को प्रेषित करना होगा। राज्य स्तर पर मिशन कार्यालय द्वारा मिशन संचालक के अनुमोदन उपरांत समग्र आईडी में संशोधन की कार्यवाही की जावेगी।

6. इसी प्रकार समग्र पोर्टल पर किसी व्यक्ति को मृत रिपोर्ट अथवा डिलीट करने के पूर्व ग्राम पंचायत सचिव /वार्ड प्रभारी द्वारा सावधानी रखी जाये, क्योंकि मृत रिपोर्ट होने के उपरांत मृतक व्यक्ति का परिवार पात्रतानुसार शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए पात्र हो जाता है। अतः मृत रिपोर्ट अथवा डिलीट करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस व्यक्ति को मृत रिपोर्ट करना है, समग्र आईडी उसी व्यक्ति का है व पोर्टल पर उस व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति इत्यादि पोर्टल पर सही दर्ज है। पोर्टल पर किसी व्यक्ति की मृत्यु रिपोर्ट अथवा डिलीट करने के उपरांत प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है व ना ही आईडी को रिकवर किया जा सकता है। अगर किसी ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा समग्र पोर्टल पर किसी जीवित व्यक्ति को मृत रिपोर्ट अथवा किसी को डिलीट किया जाता है तो उक्त स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हेतु आईडी को रिकवर करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों व अनुशंसा सहित मिशन संचालक, म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन को पत्र प्रेषित करना होगा। राज्य स्तर पर मिशन कार्यालय द्वारा मिशन संचालक के अनुमोदन उपरांत समग्र आईडी को रिकवर किया जावेगा।

7. उपरोक्तनुसार समग्र पोर्टल पर पंजीयन व समग्र डाटा में परिवारों एवं व्यक्तियों की जानकारी को पूर्णता शुद्ध, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक रखने हेतु ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी पूर्ण सावधानी रखें। समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज होने व कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध जिला प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

( बी. चन्द्रशेखर )

मिशन संचालक,

म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन

पृ.क्र./समग्र/एस.पी.आर./2018/110/167

भोपाल, दिनांक 23/06/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र।
4. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन.आई.सी. म.प्र. की ओर पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु प्रेषित।
5. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
6. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
7. समस्त जिला समग्र संयोजक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन।

मिशन संचालक,  
म.प्र. समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन